

बन्ध-पत्र (प्रारूप-4)

(अनुसूची 3-11(i) (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)
(मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिए)
(रुपये 5,000/- for open candidate and (रुपये 25,000/- for in-service candidate के नॉन ज्युडिशियल
स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)

Paste
Passport
Photograph
here

1. मैं (छात्र/छात्रा का नाम).....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी.....मध्यप्रदेश के शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।
2. मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधन
दिनांक 19.06.2019 तथा दिनांक 05.10.2021 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।
3. मैं एतद् द्वारा यह बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-

- अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित
अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूँगा/करूँगी ।
- ब. गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए:- ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु
एक वर्ष होगी एवं सेवा न करने की स्थिति में डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रुपए 10,00,000/- (रुपए
दस लाख) शासन/स्वशासी समिति को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ ।

अथवा

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए:- ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पाँच
वर्ष होगी एवं सेवा न करने की स्थिति में डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रुपए 50,00,000/- (रुपए पचास
लाख) शासन/स्वशासी समिति को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ ।

- स. यह कि, ग्रामीण सेवा न करने अथवा बाण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा
महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

गवाह (Sign., Name, Address, Mob. No.)

हस्ताक्षर आवेदक

1(छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

2